प्रथम बैठक

श्री आलोक रंजन, कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सोसाइटी की गवर्निंग बाडी की बैठक दिनांक 23–01–2012 का कार्यवृत्त

उपस्थिति–

सर्वश्री–

1– एन0एस0 रवि, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन/उपाध्यक्ष, एस0आर0एल0एम0।
2– संजीव कुमार, आयुक्त, ग्राम्य विकास/सदस्य सचिव, एसआरएलएम, उ0प्र0।
3– डी0एस0 श्रीवास्तव, निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
4– देवेन्द्र नाथ वर्मा, निदेशक, आईसीडीएस, उ0प्र0।
5– डा0 पी0एस0 गौतम, अपर निदेशक, पशुपालन, उ0प्र0।
6– डी0पी0 सिंह, निदेशक, उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ।
7– रवि मलिक, उप महाप्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा, लखनऊ।
8– आर0के0 सिंह, उप महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ।
9– डा0 वरदानी, संयुक्त निदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ।
10– प्रभात कुमार श्रीवास्तव, अनुसचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

गवर्निंग बाडी की प्रथम बैठक होने के कारण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा करते हुए एजेन्डा बिन्दुवार निम्नवत् निर्णय लिये गये :–

क्र.	एजेंडा	प्रस्ताव	निर्णय
1	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन/ उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से सम्बन्धित सामान्य सिद्धान्तों पर चर्चा।	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धनतम व्यक्तियों को इस प्रकार से प्रेरित करना है कि वह अपनी आजीविका के लिये स्वप्रबंधित संस्थाओं की भॉति स्वयं को संगठित करे जिससे कि उनकी वित्तीय क्षमता, जोखिम लेने की क्षमता के साथ साथ उनके स्वयं के विकास की क्षमता का भी परिवर्धन हो और वे गरीबी से ऊपर उठ सकें। गरीबो में अपार क्षमता होती है तथा वह सदैव गरीबी से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहते है, किन्तु उनकी क्षमतायें तरह तरह की कठिनाइयों से प्रभावित होती रहती है। उनकी क्षमताओं को तभी प्रभावी बनाया जा सकता है जब वास्तव में गरीब संगठित होकर अपनी संस्थायें बनायें एवं विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण के माध्यम से अपना कौशल विकास करें तथा आजीविका के विभिन्न तरीकों को अपनाकर अपनी आय में स्थायी तौर पर वृद्धि कर सकें।	पावर प्वाइन्ट प्रजेन्टेशन के माध्यम से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से सम्बन्धित सामान्य सिद्धान्तों पर चर्चा की गयी।

<table>
<tr>
<td>2</td>
<td>उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालन हेतु एक्शन प्लान तथा अब तक कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में चर्चा ।</td>
<td>1–उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सोसायटी का गठन हो गया है ।
2–राज्य ग्रमीण आजीविका मिशन उ0प्र0 के मिशन निदेशक के पद पर पूर्ण कालिक निदेशक की तैनाती होने तक श्री अजय कुमार उपाध्याय, अपर आयुक्त (प्रशासन) ग्राम्य विकास को राज्य मिशन निदेशक नामित किया गया है।
3–आयुक्त ग्राम्य विकास/सी0ई0ओ0 यू0पी0 एस0आर0एल0एम0 तथा मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ग्राम्य विकास के संयुक्त हस्ताक्षर से पंजाब नेशनल बैंक में खाता खोला गया है।
4–उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए पृथक कार्यालय स्थापित करने हेतुं विभिन्न समाचार पत्रो में विज्ञापन कराकर प्रस्ताव मांगें गए हैं।
5–उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में प्रारम्भिक कार्यों हेतु 6 प्रोफेशनल्स की कोर टीम गठित की जायेगी जो सी0ई0ओ0 तथा मिशन निदेशक को वार्षिक एक्शन प्लान बनाने, पाइलेट जनपद एवं ब्लाक में मिशन के कियान्वयन की रणनीति, एस0पी0आई0पी0 तैयार करने में सहयोग प्रदान करेगी ।
6–गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में हुए अच्छे कार्यो के एक्स्पोज़र विज़िट अधिकारियों के मोबलाइजेशन हेतु उपयुक्त यंत्र है। अतः यू0पी0एस0आर0एल0एम0 की प्रस्तावित कोर टीम का एक्स्पोज़र विज़िट केरल, आन्ध्र प्रदेश, बिहार तथा तमिलनाडु में हुए अच्छे कार्यो को देखने हेतु कराया जाना प्रस्तावित है।
7–कार्यकम से सम्बन्धित व्यक्तियों/संस्थाओं आदि का वर्कशाप/सेमिनार।
8–प्रारम्भिक चरण में प्रस्तावित सर्पोट स्टाफ की मदद से पायलट जनपदों/ब्लाकों में कार्य प्रारम्भ करना और अन्य प्रदेशों तथा अपने पायलट जनपदों/ब्लाकों के अनुभव के आधार पर गवर्निंग बाडी की अगली बैठक में आवश्यकतानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त करना और उसके क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही करना।</td>
<td>कृत कार्यवाही से शासी निकाय अवगत हुआ।</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>निर्धारित अवधि में उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन को पूरें प्रदेश में लागू करने हेतु जनपदों/ ब्लाकों के चयन पर विचार ।</td>
<td>योजना प्रदेश में 5 चरणों में लागू किया जाना प्रस्तावित है। इन 5 चरणों में पूरे प्रदेश को आच्छादित किया जायेगा। प्रारम्भ में अभी प्रथम चरण हेतु चयनित जनपदों/विकास खण्डों का विवरण निम्नानुसार प्रस्तावित किया जा रहा है–
<table>
<tr><th>चरण</th><th>जनपद</th><th>विकास खण्ड</th><th></th></tr>
<tr><td>प्रथम चरण</td><td>22</td><td>88</td><td>इन जनपदों/ ब्लाकों में एन0आर0एल0एम0 Intensive approach के रूप में प्रथम चरण में लागू किया जायेगा। (सूची संलग्न)</td></tr>
</table>
</td>
<td>1–यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक मण्डल से सबसे अधिक बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या वाले एक–एक जनपद तथा लखनऊ, कानपुर एवं देवीपाटन मण्डल अपेक्षाकृत जो बड़े हैं, वहाँ से दो–दो जनपद को तथा नक्सल प्रभावित तीनों जनपदों (सोनभद्र,</td>
</tr>
</table>

		शेष जनपदों / ब्लाकों में एन0आर0एल0एम0 Non-Intensive approach के रूप में प्रभावी होगा। एन0आर0एल0एम0 इनटेन्सिव का आरम्भ उन जिले एवं ब्लाकों में किया जायेगा जहॉ पर बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त नक्शल प्रभावित जनपद का भी चयन किया गया है। चिन्हित जनपद एवं विकास खण्ड इन्टेन्सिव जिले एवं ब्लाक होंगे। प्रथम चरण में इस कार्यकम को 22 जिलों के 88 इन्टेनसिव ब्लाक में चलाया जायेगा। चूंकि कार्यकम की सफलता प्रारम्भिक चरण में चयनित जनपदों/ब्लाकों में कार्यकम की सफलता पर बहुत कुछ निर्भर करेगी अतः प्रथम चरण के जनपदों/ब्लाकों में से भी प्रारम्भ में पाइलेट के रूप में उपरोक्त जनपदों में से केवल 5 जिले के 5 ब्लाक कमशः पीलीभीत(पूरनपुर), बहराइच(मिहीपुरवा), खीरी(निघासन),अम्बेडकरनगर(अकबरपुर), कुशीनगर (दुधई), जो सर्वाधिक बी0पी0एल0 परिवार के हैं, उनमें कार्यकम का कियान्वयन रिसोर्स एजेन्सी (समान गरीबी उन्मूलन कार्यकमों में कार्यरत अन्य राज्य सरकारों की संस्था) के साथ पार्टनरशिप कर प्रारम्भ किया जा सकता है। पार्टनरशिप ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित फ्रेम वर्क सुझावों के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है। (संलग्नक)। एक बार 5 विकास खण्डों में कान्सेप्ट विकसित हो जाने के पश्चात शेष 83 विकास खण्डों में कार्य को सफलता पूर्वक संचालित करने में सहयोग/बेहतर सफलता मिलेगी। पायलट प्रोजक्ट में कार्यकम की सफलता इस कार्यकम की सफलता का आधार बनेगा अतः पायलट के रूप में जनपदों/ब्लाकों के चयन का विशेष महत्व है। चयन हेतु निम्न आधार भी हो सके हैं– 1. बीपीएल परिवारों की अधिकतम संख्या के स्थान पर बीपीएल परिवारों के अधिकतम प्रतिशत को आधार बनाकर जनपदों/ब्लाकों का पायलट के रूप में चयन किया जायेगा। 2. बेहतर मानिटरिंग की दृष्टि से तथा प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक एवं प्रथम चरण में चयनित जनपदों/ब्लाकों में से किन्ही 5 जनपदों/ब्लाकों को चयनित कर कार्यकम की शुरूवात की जाय। 3. उपरोक्त विकल्पों में से पायलट के 5 जनपदों/ब्लाकों का चयन प्रस्तावित है।		मिर्जापुर व चन्दौली) को चयनित किया जाये। 2–उपरोक्तानुसार चयनित 22 जनपदों में से नक्सल प्रभावित जनपदों के समस्त ब्लाकों को तथा अन्य चयनित जनपदों के अधिकतम 04 तथा न्यूनतम 02 विकास खण्डों, इस प्रकार 88 विकास खण्डों को प्रथम चरण हेतु चयनित किया जाये। 3–प्रथम चरण हेतु चयनित 22 जनपदों में से पायलट फेज हेतु 05 जनपदों के 05 ब्लाक क्रमशः देवरिया (गौरी बाजार), बांदा (नरैनी), चन्दौली (धानापुर), हरदोई (अहिरोरी), तथा बिजनौर (नजीबाबाद) को चयनित कर पूरी सघनता एवं क्षमता से कार्य कर इन पायलट जनपदों के पायलट ब्लाकों में आजीविका मिशन को माडल के रूप में क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया।

4	(अ) राज्य ग्रामीण अजीविका मिशन को प्रारम्भ करने हेतु प्रारम्भिक चरण में राज्य मुख्यालय हेतु प्रस्तावित कुछ पदों/ अनुमन्यताओं की स्वीकृति पर विचार।		प्रस्तावित पदों एवं अनुमन्यताओं की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा प्रोफेशनल्स के चयन के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु चयन में देश के ऐसे प्रोफेशनल्स/ अभ्यर्थियों को जो किसी ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थाओं से स्नातक डिग्री एवं डिप्लोमा प्राप्त किये हों, उन्हें चयन में वरीयता दी जायेगी तथा विशेष परिस्थितियों में अनुभव की शर्त को 'केस टू केस'' आधार पर शिथिल करने का गवर्निंग बाडी को अधिकार होगा।

क्र.सं.	पदनाम	संख्या	अभियुक्ति
1	चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर (सीईओ)	01	आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 (पदेन)
2	स्टेट मिशन निदेशक/ अतिरिक्त सीईओ	01	राज्य सरकार द्वारा नामित/नियुक्त अधिकारी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का हो तथा जिसे जिलाधिकारी पद पर कार्य करने का अनुभव हो।
3	अतिरिक्त मिशन निदेशक	01	PCS/PDS सेवा के वेतनमान रू0 37400–67000, वेतन बैण्ड रू0 8700 का अधिकारी, जिसे सीडीओ पद पर कार्य करने का अनुभव हो।
4	संयुक्त मिशन निदेशक	03	पी0डी0एस0 सेवा का जे0डीसी0/ सी0डी0ओ0 स्तर का अधिकारी।
5	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी	01	वित्त एवं लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति पर वेतनमान रू0 15600 से 39100 तथा रू0 6600 ग्रेड पे का अधिकारी ।
6	प्रोफेशनल्स Thematic Expert of social mobilisation, Micro fiance and Financial Inclusion, Livelihood, Monitoring and Evaluation, Finance and Procurement, Human Resource	06	खुले बाजार से हायर्ड (रू0 60000 से 70000 प्रतिमाह प्रति व्यक्ति) शैक्षिक योग्यता–MBA(HR/personal)/ MSW, आरडी/पीजीआईडीएम में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/डिप्लोमा और सम्बन्धित क्षेत्र में 7 वर्ष का अनुभव।
7	आशुलिपिक	02	शासकीय विभागों से प्रतिनियुक्ति पर/ खुले बाजार से हायर्ड (हायर्ड की स्थिति में रू0 20000 प्रतिमाह) शैक्षिक योग्यता–इण्टर मीडिएट, हिन्दी आशुलेखन और हिन्दी/अंग्रेजी कें कम्प्यूटर टंकण में दक्ष।

		8	वरिष्ठ सहायक	02	शासकीय विभागों से प्रतिनियुक्ति पर / खुले बाजार से हायर्ड (हायर्ड की स्थिति में रू0 20000 प्रतिमाह) शैक्षिक योग्यता–इण्टर मीडिएट हिन्दी/अंग्रेजी के कम्प्यूटर टंकण में न्यूनतम गति 25 शब्द प्रति मिनट।
		9	लेखाकार -	01	शासकीय विभागों से प्रतिनियुक्ति पर
		10	डाटा इन्ट्री आपरेटर	03	खुले बाजार से हायर्ड/सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से (नियत वेतन रू0 15000 प्रतिमाह) शैक्षिक योग्यता–एक वर्ष का कम्प्यूटर डिप्लोमा, ओ लेवल कोर्स तथा हिन्दी व अंग्रेजी में कम्प्यूटर टाइपिंग ज्ञान तथा सम्बन्धि क्षेत्र में 03 वर्ष का अनुभव।
		11	चतुर्थ श्रेणी स्टाफ	06	शासकीय विभागों से प्रतिनियुक्ति/सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से (नियत वेतन रू0 8000 प्रतिमाह) न्यूनतम शैक्षिक योग्यता–कक्षा 08 उत्तीर्ण।
	(ब) जनपद स्तर	1	प्रोफेशनल्स Thematic Expert of social mobilisation, Micro fiance and Financial Inclusion, Livelihood, Monitoring and Evaluation, Finance and Procurement, Human Resource	02	खुले बाजार से हायर्ड (रू0 40000 से 50000 प्रतिमाह प्रति व्यक्ति) शैक्षिक योग्यता– MBA (HR/ personal)/ MSW, आरडी/ पीजीआईडीएम में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/ डिप्लोमा और सम्बन्धित क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव।यद्यपि सन्दर्भित सभी प्रोफेशनल्स की आवश्यकता बाद में होगी किन्तु प्रारम्भ में केवल दो ही प्रोफेशनल्स रखे जायेंगे।
		2	डाटा इन्ट्री आपरेटर	01	खुले बाजार से हायर्ड/सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से (नियत वेतन रू0 15000 प्रतिमाह)शैक्षिक योग्यता– एक वर्ष का कम्प्यूटर डिप्लोमा, ओ लेवल कोर्स तथा हिन्दी व अंग्रेजी में कम्प्यूटर टाइपिंग ज्ञान तथा सम्बन्धि क्षेत्र में 03 वर्ष का अनुभव।

	(स) ब्लाक स्तर	1	प्रोफेशनल्स Thematic Expert of social mobilisation, Micro fiance and Financial Inclusion, Livelihood, Monitoring and Evaluation, Finance and Procurement, Human Resource	06	खुले बाजार से हायर्ड (रू0 20000 से 30000 प्रतिमाह प्रति व्यक्ति), शैक्षिक योग्यता– MBA (HR/ personal)/ MSW, आरडी/ पीजीआईडीएम में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/ डिप्लोमा और सम्बन्धित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव।
		2	डाटा इन्ट्री आपरेटर	02	खुले बाजार से हायर्ड/सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से (नियत वेतन रू0 15000 प्रतिमाह) शैक्षिक योग्यता–एक वर्ष का कम्प्यूटर डिप्लोमा, ओ लेवल कोर्स तथा हिन्दी व अंग्रेजी में कम्प्यूटर टाइपिंग ज्ञान तथा सम्बन्धि क्षेत्र में 03 वर्ष का अनुभव।
		उपरोक्त स्ट्रक्चर प्रति जनपद/प्रति ब्लाक के अनुसार प्रस्तावित किया गया है। जनपद स्तर पर उपरोक्त सभी प्रोफेशनल्स व स्टाफ जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी /जिला विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। इसी प्रकार ब्लाक स्तर के प्रोफेशनल्स एवं स्टाफ खण्ड विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। चूँकि प्रारम्भ में पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में एनआरएलएम के कार्य केवल 5 जिलों के 5 ब्लाकों में Intensive approach के रूप में लागू किया जायेगा अतः इन जनपदों एवं ब्लाक स्तर की कोर टीम का चयन उक्त स्ट्रक्चर के अनुसार किया जायेगा। पाइलेट के रूप में चिन्हित जनपदों एवं विकास खण्डों के अनुभव तथा अन्य राज्यों की परियोजनाओं के एक्स्पोज़र विजिट के पश्चात जनपद एवं ब्लाक हेतु आवश्यक शेष स्टाफ का विस्तृत स्ट्रक्चर बाद में तैयार कर स्वीकृतार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। 3– उपरोक्त प्रस्तावित पदों की स्वीकृति के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर भी स्वीकृति आवश्यक है– (क)–कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु आवश्यक साफ्टवेयर तथा उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की वेबसाइट का निर्माण खुले बाजार से आउट सोर्सिंग के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है।				क, ख, ग, तथा घ पर प्रस्तुत सभी प्रस्ताव स्वीकृत किये गये तथा यह भी निर्णय लिया गया कि हायर्ड अधिकारियों/ कर्मचारियों जिनका नियत वेतन रू0 60,000 से

		(ख)–यह भी प्रस्ताव है कि सी0ई0ओ0 को समस्त वित्तीय/प्रशासनिक अधिकार होंगे, जिसका आवश्यकतानुसार प्रतिनिधायन उनके द्वारा अतिरिक्त सी0ई0ओ0/ मिशन निदेशक तथा जिले एवं ब्लाक के पदाधिकारी को किया जा सकेगा। (ग)–यह भी प्रस्तावित है कि मिशन में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को यात्रा भत्ता आदि की सुविधा शासन द्वारा निर्धारित दरों पर अनुमन्य वेतनमान की सीमा के अन्तर्गत देय होगी। हायर्ड कर्मचारियों के लिए जिनका निर्धारित वेतन रू0 30000 या उससे अधिक है उन्हें द्वितीय श्रेणी ए0सी0 का एवं रू0 30000 से कम पाने वाले कर्मचारियों को (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) तृतीय श्रेणी एस0सी0 का तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को द्वितीय श्रेणी स्लीपर का किराया अनुमन्य होगा। आवश्यकतानुसार अपरिहार्य परिस्थितियों में सी0ई0ओ0/अतिरिक्त सी0ई0ओ0 को अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुमन्य श्रेणी से अधिक की श्रेणी का यात्रा भत्ता स्वीकृत करने का अधिकार होगा। (घ)–मिशन के कार्य के लिए चालक सहित वाहन की व्यवस्था टेन्डर द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर पर ट्रैवेल एजेन्सी से किया जाना प्रस्तावित है।	अधिक है, उन्हें सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले रू0 7600 ग्रेड पे के अनुसार, रू0 40000 से रू0 60000 तक के अधिकारियों/ कर्मचारियों को रू 6600 ग्रेड पे के अनुसार, रू0 30000 से रू0 40000 पाने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों को रू0 5400 ग्रेडपे के अनुसार तथा रू0 15000 से रू0 30000 के कर्मचारियों को रू0 4800 ग्रेडपे के अनुसार एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अनुसार दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा।
5	प्रदेश मुख्यालय, जनपद, ब्लाक स्तर पर प्रारम्भिक चरण में सपोर्टिंग स्टाफ की आवश्यकता का आकलन, योग्यता का निर्धारण, चयन/नियुक्ति आदि की कार्यवाही तथा एच0आर0 मैनुवल तैयार करने हेतु संस्था के चयन पर विचार।	ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रोफेशनल्स/ कन्सल्टेन्ट हेतु विज्ञापन दिनांकः 29–10–2011 तथा 3–11–2011 को राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। इस विज्ञापन के कम में प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर डाटा बेस भी तैयार कराया गया है। इस डाटाबेस का प्रयोग कर कन्सल्टेन्ट/ प्रोफेशनल्स का चयन चुनाव आयोग से अनुमति प्राप्त कर किया जा सकता है। (संविदा का प्रारूप संलग्न है) प्रोफेशनल्स के वेतन विभिन्न राज्यों की तुलना के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं।	प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

6	प्रोक्योरमेन्ट मैनुवल	भारत सरकार एवं विश्वबैंक की सहमति से एक प्रोक्योरमेंट मैनुवल तैयार किया गया है और राज्यों से अपेक्षा की गयी है कि वह इसे स्वीकार करें। कई राज्यों द्वारा इसे स्वीकार किया जा चुका है। अतः इस मैनुवल को इस आशय से प्रस्तावित किया जा रहा है कि इसे स्वीकार करते हुए स्वीकृति प्रदान करें। मैनुवल संलग्न है।	प्रस्तावित मैन्युअल स्वीकार किया गया।
7	एनुवल एक्शन प्लान तैयार करना	भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार चूँकि प्रत्येक राज्य को सर्वप्रथम वार्षिक एक्शन प्लान तैयार करना है और इस एक्शन प्लान की स्वीकृति के अनुरूप ही धनराशि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में उपलब्ध होगी अतः यह वार्षिक एक्शन प्लान शीघ्र तैयार किया जाना है। इसे तैयार कराने में उपरोक्त प्रस्तावित प्रोफेशनल्स का उपयोग किया जायेगा। वार्षिक एक्शन प्लान के उपरान्त एस0पी0आई0पी0 तैयार करने का कार्य किया जायेगा।	निर्णय लिया गया कि वार्षिक एक्शन प्लान यथा शीघ्र तैयार कराया जाये।
8	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर चर्चा।	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से राज्य में स्वर्ण जयन्ती ग्राम्य स्वरोजगार योजना (SGSY) या गरीबी उन्मूलन व ग्रामीण आजीविका विकास सम्बन्धी अन्य कार्यक्रमों/प्रयासों के फलस्वरूप की गई उपलब्धियों/प्रयासों का विवरण संकलित कराकर तथा उनका भौतिक परीक्षण कराने के उपरान्त ग्रामीण आजीविका का विकास करने/गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों/नवीन प्रयासों से प्राप्त वास्तविक उपलब्धियों का विवरण 'सफलता की कहानी' के रूप में संकलित कराने और ऐसे प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में सृजित 'सोशल कैपिटल' और 'इन्टरप्रिन्योरियल स्पिरिट' का SRLM में उपयोग करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मिशन निदेशक द्वारा प्रस्तावित किया गया।	प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

7.2.2012

(अजय कुमार उपाध्याय)
अपर आयुक्त(प्रशासन),
ग्राम्य विकास, उ0प्र0/
मिशन निदेशक,
उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन।